न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या 05/21 दायरा दिनांक 15.09.2021

पीठासीन अधिकारी – राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

बलबीरकौर आयु 62 वर्ष पत्नि नरेन्द्रपालसिंह जाति जाट सिख निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां राज.

– अपीलांट

बनाम

1. अमनदीपकौर आयु 30 वर्ष पत्नि स्व.पुष्पेन्द्रपालसिंह जाति सिख निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां राज.
2. नवनुर आयु 3 वर्ष पुत्री स्व.पुष्पेन्द्रपालसिंह जाति सिख निवासी करवरीकलां नाबालिग जर्ये वली माता अमनदीपकौर पत्नि स्व.पुष्पेन्द्रपालसिंह जाति सिख जाट निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला–बारां राज.

– रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्व नामान्तरण क्रमांक 1182 दिनांक 07/09/2021 तहसील किशनगंज जिला बारां राज.

निर्णय दिनांक – 12.04.2022

उपस्थित– श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट अपीलांट की ओर से

श्री नरेश नागर एडवोकेट रेस्पो. की ओर से

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां में कृषि भूमि खाता संख्या नया 125 पुराना 120 में खसरा नं. 290 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नं. 366 रकबा 2.12 बीघा, खसरा नं. 370 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नं. 372 रकबा 0.11 बीघा एवं खसरा नं. 1012/342 रकबा 6.15 बीघा किता 5 कुल रकबा 12.15 बीघा जमाबंदी संवत 2070 में वखाते पुष्पेन्द्रपालसिंह पुत्र श्री नरेन्द्रपालसिंह, अपीलार्थीया का पुत्र रेस्पो. क्रम 1 का पति, रेस्पो. क्रम 2 का पिता था। जिसका स्वर्गवास दिनांक 10.06.21 को हो गया है। यह कि अपीलार्थीया मृतक पुत्र पुष्पेन्द्रपालसिंह की माता है। पक्षकार हिन्दू हैं, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार लागू है। जिसके अनुसार मृतक पुत्र पुष्पेन्द्रपालसिंह की माता (अपीलार्थीया) एवं रेस्पो. क्रम 1 व 2 प्रथम अनुसूची के वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं। इस कारण कानूनन अपीलार्थीया का उक्त आराजी में 1/3 हक [illegible] है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पो. क्रम 3 को आवेदन प्रस्तुत कर उक्त आराजी में प्रा[illegible] वारिस उत्तराधिकारी होने से इन्तकाल खोलने का बमाह अगस्त [illegible] निवेदन [illegible] परन्तु तहसीलदार किशनगंज ने रेस्पो. क्रम 1 के आवेदन पर रेस्[illegible] 07.09.2[illegible] स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:43 IST
Reason: SelfAttested

है। अपीलार्थीया का 1/3 हिस्सा हक वारिस उत्तराधिकारी होने के बावजूद कानून के विपरीत खोला है, जो अवैध शून्य अपालनीय है तथा प्रथमदृष्टया निरस्तनीय है। उक्त इन्तकाल बिना जांच मनमाने तरीके से की गई पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर कानून के विपरीत खोला गया है, अपीलार्थीया को कोई नोटिस सूचना भी जारी नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया तथा नामान्तरण प्रावधानों के विपरीत खोला गया है, इस कारण आदेश 07.09.21 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उक्त आराजी हथियादेह परियोजना हेतु अवाप्त हुई है, जिसका मुआवजा चैक प्राप्त करने हेतु इन्तकाल का लाभ उठाकर रेस्पो. मुआवजा चैक उठाने को प्रयासरत है, जिसका उन्हे कोई अधिकार अपीलार्थीया के हिस्सा 1/3 तक नहीं है। अपीलार्थीया का उक्त आराजी में हिस्सा 1/3 हक होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपने नाम इन्तकाल खुलवाने की अधिकारी है। रेस्पो. क्रम 1 पुष्पेन्द्रपालसिंह की पत्नि है व रेस्पो. क्रम 2 उसकी नाबालिग पुत्री है, जो अपनी प्राकृतिक माता रेस्पो. क्रम 2 के संरक्षण में रहकर परवरिस पा रही है, नाबालिग व उसकी माता के हित समान हैं एक दूसरे के विपरीत नहीं है। अमनदीपकौर को रेस्पो. क्रम 2 की वली माता बनाया गया है, आदेश 32 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. प्रथक से पेश है। अतः अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 1182 दिनांक 07.09.21 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। प्रकरण में अपीलांट तथा रेस्पो. ने हाजिर अदालत आकर दिनांक 12.04.22 को इस आशय का राजीनामा पेश किया कि ग्राम करवरीकलां तहसील किशनगंज स्थित आराजी खसरा नं. 290 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नं. 366 रकबा 2.12 बीघा, खसरा नं. 370 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नं. 372 रकबा 0.11 बीघा एवं खसरा नं. 1012/342 रकबा 6.15 बीघा किता 5 कुल रकबा 12.15 बीघा के खातेदार पुष्पेन्द्रपालसिंह पुत्र नरदेवसिंह की मृत्यु उपरान्त दर्ज प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 1182 दिनांक 07.09.21 को रेस्पो. क्रम 1 व 2 के नाम खोल तस्दीक किया गया है, जबकि उक्त नामान्तरण रेस्पो. क्रम 1 व 2 के साथ अपीलांट के नाम भी समभाग से दर्ज किया जाना चाहिये था, क्योंकि अपीलांट मृत खातेदार पुष्पेन्द्रपालसिंह की माता है। प्रकरण में रेस्पो. तथा अपीलांट के मध्य आपसी समझायश अनुसार राजीनामा हो गया है और मुताबिक राजीनामा रेस्पो. विवादित भूमि में अपीलांट का 1/3 हिस्सा कानूनन स्वीकार करते हैं तथा प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं। राजीनामा की जांच कर तस्दीक किया गया।

उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने स्वयं को मृतक खातेदार पुष्पेन्द्रपालसिंह की माता होन से उसकी विरासत में मृतक की विधवा रेस्पो. क्रम 1 तथा पुत्री रेस्पो. क्रम 2 के साथ समभाग से अपना हक व हिस्सा होने का कथन करते हुये प्रश्नगत नामान्तरण को चुनौती दी है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] अधिकार का वर्णन किया गया है, प्रावधान अनुसार मृतक पुरूष की दशा [illegible] प्रथमतः उन वारिसों को जायेगी, जो अनुसूची के वर्ग 1 में [illegible] धारा 9 अनुसार अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग 1 में [illegible] सब वारिसों का अपवर्जन करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:43 IST
Reason: SelfAttested

हुये अंशभागी होंगे। इस आधार पर हस्तगत प्रकरण में काननून अपीलार्थी अपने मृत पुत्र पुष्पेन्द्रपालसिंह की जैर अपील आराजी में रेस्पो. क्रम 1 व 2 के साथ समभाग से अंशधारी होना पाई जाती है। इसके अलावा पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामा अनुसार भी मृतक पुष्पेन्द्रपालसिंह की जैर अपील आराजी में अपीलार्थी के हिस्सा 1/3 निहित होने का कथन किया गया है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण क्रमांक 1182 दिनांक 07/09/2021 ग्राम करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां राज. को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार पुष्पेन्द्रपालसिंह की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तय कर बाद जांच पुनः नामान्तरण दर्ज करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:43 IST
Reason: SelfAttested